

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

द्वितीय तल, ब्लॉक-5, डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक:-रास्कूलशिप/जय/सामु.गति/बालसभा/2019-20/6624

दिनांक : 10/10/19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा
समस्त जिले।

विषय:- दिनांक 19.10.2019 को सामुदायिक बालसभा आयोजन हेतु आंशिक संशोधन
बाबत।

प्रसंग:- परिषद का पत्र क्रमांक 6584 दिनांक 09.10.2019 तथा 6598 दिनांक
09.10.2019 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत परिषद द्वारा सन्दर्भित पत्रों के द्वारा जारी किये गये निर्देशों में
आंशिक संशोधन करते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 19.10.2019 शनिवार को
सामुदायिक बालसभा का आयोजन विद्यालय समय में मध्यांतर (Interval) पश्चात् किया
जावे। तदनुसार समस्त पूर्व तैयारियाँ कर सामुदायिक बालसभा का चौपाल/सार्वजनिक
स्थल पर प्रभावी आयोजन करवाया जाकर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

(प्रदीप कुमार बोरड़)

IAS

आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल
शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांक:-रास्कूलशिप/जय/सामु.गति/बालसभा/2019-20/6624

दिनांक : 10/10/19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
5. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्त/संयुक्त निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
8. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक, समस्त जिले।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. प्राचार्य, डाइट, समस्त जिले।
11. सहायक परियोजना समन्वयक-प्रथम, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
13. समस्त पीईईओ।
14. रक्षित पत्रावली।

(हरमान मीणा)

RAS

अति. राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय